

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/ROAD/122482/2021

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कोरबा द्वारा उरगा-पत्थलगाँव मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य हेतु जशपुर वनमण्डल के वन परिक्षेत्र अंतर्गत रकबा 0.7471 हे. प्रस्तावित है।
I	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
II	जिला	जशपुर
III	वन प्रभाग	जशपुर
IV	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	0.7471 हे.
V	वन की कानूनी स्थिति	नारंगी वन भूमि
VI	हरियाली का घनत्व	0.5 से 0.7
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	प्रजातिवार वृक्षों का स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम की सूची एवं परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न है।
VIII	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	वन क्षेत्र प्रत्यावर्तित होने से शेष वन भूमि पर किसी भी प्रकार का भू-क्षरण संबंधी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित क्षेत्र महत्वपूर्ण या गम्भीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।
IX	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	वनेत्तर भूमि वन सीमा के अंदर है।
X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	प्रस्तावित वन क्षेत्र किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग नहीं है।
XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
XII	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र	कोई भी सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक प्रस्तावित वन क्षेत्र में स्थित नहीं है। वचन पत्र संलग्न हैं।
8.	प्रयोक्ता एर्जेसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वनमण्डल बलौदा बाजार में प्रस्तावित है।
II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वनमण्डल बलौदा बाजार में प्रस्तावित है।
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	लागु नहीं।
IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	लागु नहीं।
V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	लागु नहीं।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (11,12) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	
I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	5838 वर्ग कि.मी.
II	जिले का वनक्षेत्र	2131 वर्ग कि.मी.
III	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वने क्षेत्र।	संख्या - 11, रकबा - 176.990 हे.
	(क) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
	(ख) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	160.092 हेक्टेयर
	(ग) वनेत्तर भूमि पर।	20 हेक्टेयर
IV	2015-2016तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	
	क. वनभूमि पर	160.092 हेक्टेयर
	ख. वनेत्तर भूमि पर	0.000 हेक्टेयर
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	Recommended

दिनांक : 21/08/2023

स्थान : जशपुर

वनमंडलाधिकारी
जशपुर वनमण्डल जशपुर

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव
पर वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

1	परियोजना का नाम	उरगा-पत्थलगाँव मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य हेतु कोरबा वनमण्डल रकबा 0.7471 हे.				
2	आवेदक /आवेदक विभाग का नाम	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कोरबा				
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	उरगा-पत्थलगाँव मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य				
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमण्डल	कार्य स्थल		
		जशपुर	जशपुर			
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	निरंक		निरंक	निरंक	
	क. आरक्षित वन	निरंक		निरंक	निरंक	
	ख. आर्रेंज वन भूमि	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हे. में)	साईट क्वालिटी	घनत्व
		जशपुर	आर्रेंज वन भूमि 919/1	0.7471		
			योग	0-7471		
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	मध्यम				
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	निरंक				
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	निरंक				
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. /वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	प्रत्यावर्तित स्थल आवेदित क्षेत्र से लगा हुआ है।				
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायो स्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र,धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें ।	नहीं				
11	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के	नहीं				
	रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर					

	खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष / भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे ।)	
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें ।	नहीं

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है । आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है ।

निरीक्षण स्थल -

दिनांक -

वनमण्डलाधिकारी
जशपुर वनमण्डल जशपुर